

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्या:-423/2015 (2015/00154)223/नसीराबाद

1. गोपाल पुत्र श्री चन्द
2. गणपत पुत्र श्री चन्द
3. गुमान पुत्र श्री चन्द
4. रणजीत पुत्र श्रीचन्द
5. करण पुत्र गणपत
6. करतार पुत्र गणपत
7. अवतार पुत्र गणपत
8. राजेश पुत्र गोपाल
9. धमेन्द्र पुत्र रणजीत
10. पारसी पत्नी घासी
11. श्रीचन्द पुत्र भागीरथ
12. कमला पत्नी गणपत
13. गीता पत्नी गोपाल
14. सुमन पत्नी राजेश
15. श्रवणी पत्नी गुमान
16. संजू पुत्री गुमान
17. शारदा पत्नी गणपत
18. इन्द्रा पुत्री गोपाल
19. सम्पति पुत्री श्रीचन्द
20. गीता पत्नी सांवरा समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चाट तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।
रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय दिनांक 24.06.2015, वाद संख्या 67/2014 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद।

उपस्थित:-

11. श्री हीरालाल माली एडवोकेट अपीलांटस की ओर से।
12. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोंडेन्ट संख्या 01की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 31.10.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के वाद संख्या 67/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।
02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 503 रकबा 50 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 736 रकबा 13.35 है0 वाकै ग्राम चाट तहसील नसीराबाद में स्थित हैं। उपरोक्त आराजियात में वादीगण के पुश्तैनी बाड़े अवस्थित हैं तथा पुश्तैनी समय से ही वादीगण उक्त भूमि पर बाड़े बनाकर अपने जानवरों का चारा तथा कृषि उपज में आने वाले औजार घरेलू उपयोग में आने वाले सामान, लकड़ीया आदि रखते हैं तथा वादीगण का वर्षों से उक्त आराजी पर कब्जा है। उक्त भूमि वर्किंग जमाबंदी में आबादी भूमि में दर्ज थी तथा जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है किन्तु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने

बिना किसी युक्तियुक्त आदेश के भूमि की किस्म आबादी से परिवर्तित करते हुए बारानी-3 अंकित कर दी। उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करने तथा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। अंत में अनुतोष चाहा कि वर्किंग खसरा नम्बर 503 रकबा 50 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 736 रकबा 13.35 है 0 वाकै ग्राम चाट तहसील नसीराबाद की किस्म आबादी में परिवर्तन की जावें एवं वादीगण को भूमि से बेदखल नहीं किया जावें तथा विवादित आराजी भूमि किसी को हस्तांतरित नहीं की जावें। वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस तलबी हेतु नियत था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.06.2015 को बिना अपीलार्थी की मौजूदगी में एवं बिना सुनवाई के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.06.2015 को वाद निरस्त कर दिया गया। अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार वाद पत्र की सूचना जरिये सम्मन जवाब-दावा उपरान्त वाद पत्र में विवादित बिन्दु कायम किये जाकर तत्पश्चात् पक्षकारान की साक्ष्य सबूत लेकर ही वाद पत्र का निर्णय किया जा सकता था जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा कोई साक्ष्य सबूत एवं मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गई, ना प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का जवाब तलब किया गया तथा ना ही विवादित भूमि के संदर्भ में जमाबंदी, राजस्व नक्शा, गिरदावरियों, वर्किंग जमाबंदिया प्रदर्शित की गई। ऐसी अवस्था में दस्तावेज जो कि वाद-पत्र से सम्बन्धित है के बिना प्रदर्शित पढ़ा ही नहीं जा सकता तथा वादीगण/अपीलार्थीगण को बिना किसी जानकारी के वादीगण का वाद निरस्त किया जाना तथा कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2015 को बिना किसी सूचना के बिना वादी/अपीलार्थी की जानकारी के एवं बिना नोटिस तामिल करवायें ही निर्णय पारित किया गये हैं जिसकी जानकारी दिनांक 29.09.2015 को प्राप्त हुई तथा अपीलार्थी कृषक एवं ग्रामिण व्यक्ति हैं। जानकारी से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद अवधि में मानते हुए सुनवाई किया जाना न्यायाचित हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज हैं जिस पर अपीलांत केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त हैं इसलिए खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत/वादी को वास्ते साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।
6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांत के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार करना उचित

समझते हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अपील का निर्णय करना उचित समझते हैं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंगन पटवारी हल्का देरादू का जवाब में विवादित आराजी वर्किंग खसरा नम्बर 726 रकबा 13.35, क्रमशः, खसरा नम्बर 503 रकबा 1.62, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 508 रकबा 1.94, खसरा नम्बर 510 मीन रकबा 0.70, 503 मिन रकबा 2.00, खसरा नम्बर 578 मीन रकबा 5.00, खसरा नम्बर 520 रकबा 2.08 से मिलकर बना। उपरोक्त खसरा नम्बरान में मुताबिक जमाबंदी खसरा नम्बर 503 रकबा 50 बीघा आबादी भूमि थी। खसरा नम्बर 506 गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 508 जानवरों के बैठने का स्थान, खसरा नम्बर 510 बारानी-3, खसरा नम्बर 520 जानवरों के बैठने का स्थान दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। अपीलांटस विवादित आराजी की किस्म आबादी में परिवर्तित करवाना चाहते हैं। भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। अपीलांटस भूमि की किस्म परिवर्तन करने हेतु समक्ष न्यायालय में चाराजोही करें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद का विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए खारिज किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है और अपील निरस्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय दिनांक 24.06.2015 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर